स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स्.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 दिनांक : 10.10.2014

माननीया मुख्यमंत्री जी,

राजस्थार सरकार, जयपुर।

विषयः– फीस निर्धारण के लिए आवेदन देने की तिथि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

आप इस तथ्य से अवगत हैं कि राजस्थान के शिक्षा के प्रचार–प्रसार में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की ऐतिहासिक एवं शानदार भूमिका है। राजस्थान में शिक्षा का ढांचा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर टिका हुआ है। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उससे आप भलीभांति अवगत हैं। राजस्थान के लाखों छात्रों–छात्राओं का भविष्य निजी शिक्षण संस्थाओं पर अवलम्बित है।

निजी शिक्षण संस्थाएं नाममात्र की फीस ले कर गांवों और कस्बों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही हैं और अधिकांश निजी संस्थाओं का वार्षिक शुल्क 3 हजार से भी कम हैं जबकि सरकारी स्कूलों में प्रति विद्यार्थी 14 हजार रूपये का व्यय है। अतः फीस निर्धारण समिति द्वारा नाममात्र की फीस लेने वाली संस्थाओं की फीस निर्धारित करना और संस्थाओं को परेशान करना न्यायोचित नहीं हैं। जो संस्थाएं 14 हजार रूपये से कम वार्षिक शुल्क लेती हैं उन्हें फीस निर्धारण समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए।

फीस निर्धारण समिति द्वारा सभी संस्थाओं को 10 अक्टूबर तक पोर्टल पर फीस देने की जानकारी के आदेश जारी किए थे परन्तु अधिकांश संस्थाओं के गांवों और कस्बों में स्थित होने के कारण वे पोर्टल से जानकारी नहीं भेज सके। अधिकांश गांवों और कस्बों में पोर्टल से जानकारी भेजने की कोई सुविधा नहीं हैं।

अतः यह निर्देश जारी किया जाए कि पोर्टल की सुविधा के अभाव में जो संस्थाएं 10 अक्टूबर तक जानकारी नहीं भेज सकीं वे 30 अक्टूबर तक डाक द्वारा जानकारी भेज सकते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राजस्थान के हित में हमारा अनुरोध स्वीकार करने की कृपा करेंगी।

सधन्यवाद!

भवदीय

सत्यव्रत सामवेदी

अध्यक्ष

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ,राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय,राजापार्क, जयपुर–302004 फोनः– 0141–2622055

email: swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स्.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 दिनांक : 10.10.2014

– प्रेस विज्ञप्ति –

निजी शिक्षण संस्थाएं फीस संबंधी जानकारी डाक से भेज दें

जयपुर 10 अक्टूबर। फीस निर्धारण समिति राजस्थान द्वारा पोर्टल पर 10 अक्टूबर तक जानकारी देने के आदेश के बावजूद हजारों संस्थाएं पोर्टल पर जानकारी नहीं भेज सकी क्यों कि गांवों और कस्बों में पोर्टल से जानकारी भेजने की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

अतः स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान के अध्यक्ष सत्यव्रत सामवेदी ने निजी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया है जो संस्थाएं पोर्टल से 10 अक्टूबर तक जानकारी नहीं भेज सकीं वे फीस निर्धारण समिति को डाक से यथाशीघ्र सारी जानकारी भेज दें।

सामवेदी ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री और फीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि जो संस्थाएं पोर्टल की सुविधा न होने के कारण फीस संबंधी जानकारी नहीं भेज सकीं उन्हें 30 अक्टूबर तक डाक से फीस संबंधी प्रपत्र भेजने की अनुमति दी जाए और जो संस्थाएं 14 हजार रूपये से कम फीस लेती हैं उन्हें फीस निर्धारण समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए।

निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के संबंध में संघ का शिष्ट मंडल 15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री से मिलेगा।

भवदीय

किशन मित्तल

किशन मित्तल
मंत्री
9829523349